बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

<u>ग्रामीण विकास विभाग,</u>

बिहार, पटना ।

पत्रांक 173317 पटना, दिनांक- 06/01/2014

ग्रा0वि09(थ)ई0पी0एफ0-84/2010

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,

आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,</u>

<u>सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर-जिला-कार्यक्रम समन्वयक,</u>

बिहार ।

विषय:- मनरेगा कर्मियों का ई0पी0एफ0 कटौती एवं खाता खोले जाने के संबंध में ।

महाशय,

विभागीय पत्रांक 168252, दिनांक 04.11.2013 के प्रसंग में कहना है कि मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत तकनीकी सहायक के मामलों में जिनका मूल वेतन क्रमश: 5000/- तथा 6500/- प्रतिमाह वर्त्तमान में है से 12% की दर से कर्मचारी के अंशदान के रूप में तथा नियोजक के अंशदान के रूप में 13.61% जो क्रमश: 681/- तथा 817/- किया जा रहा है ।

भविष्य-निधि संगठन में खाता खोलने की प्रक्रिया के तहत EPFO के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 13.11.2013 को कार्यशाला / प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें यह बताया गया था की EPF Portal पर पंजीकरण कैसे कराएं, ई0सी0आर0/चलान कैसे प्राप्त करें, नया Establishment Code कैसे प्राप्त करें और पुराने Establishment Code वाले जिला मनरेगा कर्मियों के कटोती कि गई ई0पी0एफ0 की राशि को EPF Account में कैसे जमा करेंगे । ऐसी सूचना प्राप्त हुई है की प्रशिक्षण के पश्चात भी कई जिलों में ई0पी0एफ0 राशि कटौती के उपरांत भी इस राशि को ई0पी0एफ0 के खाते में जमा न करके अन्यत्र जमा किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि मानदेय से ई0पी0एफ0 की राशि कटौती के पश्चात ई0सी0आर0/चलान के द्वारा सीधे विनिर्दिष्ट खाते में तथा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखा में जमा की जा रही हो ।
ई0पी0एफ0ओ0 में पहले से पंजीकृत या नई पंजीकृत डी0आर0डी0ए ई0सी0आर0/चलान जेनरेट करने एवं जमा करने के लिए विहित प्रक्रिया एवं विस्तृत दिशा-निर्देश कर्मचारी भविष्यि निधि संगठन के विभागीय बेबसाइट http://www.epfindia.com/employer_esewa.html पर देखा जा सकता है ।

कर्मचारी भविष्यि निधि संगठन माह अप्रैल 2012 (मार्च का अप्रैल में भुगतान) से इलैक्ट्रोनिक चालान सह-रिर्टन (ई.सी.आर) की ऑन-लाइन प्राप्ति आरम्भ कर चुका है । DRDA अपनी

स्थापनाओं को पंजीकृत कराएं । पंजीकरण पूर्ण होते ही SMS से आपको यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर आप Employer E-Sewa Portal में लॉग इन कर सकते हैं । इस समय यह श्रेयस्कर होगा यदि आप अपना नया पासवर्ड Create कर लेते हैं । पंजीकृत DRDA इलैक्ट्रोनिक रिर्टन अपलोड कर सकेंगे तथा अपलोडिड रिर्टन का डाटा पी डी एफ फॉरमेट में डिजीटली हस्ताक्षरित प्रति के माध्यम से देख सकेंगे । यह Print-Out के लिए भी उपलब्ध है । DRDA विनिर्दिष्ट बैंक की इन्टरनेट बैकिंग के द्वारा अथवा चालान के प्रिंट आउट के आधार पर विनिर्दिष्ट शाखा पर उसका भुगतान कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त DRDA वहां से निम्नलिखित सुविधाएं एवं लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

1. भविष्य निधि संगठन को हस्तलिखित रिर्टन तैयार एवं जमा नहीं की जाएगी ।
2. अन्य रिर्टन अर्थात् प्रपत्र 5/10/12 ए,3-ए एवं 6-ए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. DRDA एस.एम.एस. के द्वारा तुरन्त भुगतान की पुष्टि प्राप्तं कर सकेंगे ।
4. सदस्यों के खाते में मासिक आधार पर अंशदान जमा किया जाएगा ।
5. DRDA वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक लेखा पर्चियां ऑनलाइन देख सकते हैं ।
6. DRDA इस पोर्टल के द्वारा पिछले वर्षो के लिए वार्षिक पर्चियों हेतु अनुरोध कर सकते हैं ।

Employer E-Sewa के पेज के नीचे निम्नलिखित विकल्प मौजूद हैं जिन्हें क्लिक करने के बाद ई0सी0आर0/चलान, एफ ए क्यू, पंजीकरण कैसे करें, ई.सी.आर.की प्रक्रिया गति, डाउनलोड ई.सी.आर.फाइल फोरमेट, ई.सी.आर.फाइल बनाने के लिए डेमो, अनुलग्नक । - सदस्यों के "आधार" का ब्यौरा इत्यादि की जानकारी ली जा सकती है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देश के अनुसार अपने-अपने जिले में मनरेगा कर्मियों की ई0पी0एफ0 की राशि निर्धारित मनरेगा कर्मियों के ई0पी0एफ0 खाते में त्रुटिरहित तरीके से जमा कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त मनरेगा ।

ज्ञापांक- 173317 पटना, दिनांक 06/01/2014

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ ।

आयुक्त मनरेगा ।